

वकील ह; वकी यकी हकीका दसि कफुकेक क गरी उहरी दक वकीसक

हकीकेक-

दिनांक 16-17 जून 2013 को उत्तराखण्ड राज्य में अतिवृष्टि और बाढ़/बादल फटने के कारण आई आपदा और तदपरान्त उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के पांच जिले मानवीय और सम्पत्ति की क्षति से प्रभावित हुए। लगभग 9 लाख लोग प्रभावित हुए तथा लगभग 3100 आवास पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त अथवा मरम्मत अयोग्य क्षतिग्रस्त हुए।

मनी; &

नीति का उद्देश्य प्रभावित जनमानस को आवासों के पुनर्निमाण की तात्कालिक आवश्यकता के क्रियान्वयन के लिए एक रूपरेखा बनाना है। उक्त पांच प्रभावित जिलों के अधिकांश भाग भूकम्पीय स्तर की दृष्टि से जोन 5 में है। पुनर्संरचना भूकम्प और अन्य आपदाओं के प्रतिरोध एवं जनहानि को रोकने/कम करने के दृष्टिगत किया जाना होगा। प्रभावित जनता की भेदता को न्यून करने के उद्देश्य से तथा आत्मसम्मान के साथ रहने के लिए मूलभूत सुविधा सहित तुरन्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है।

वकी यकीकेक-

नीति के अन्तर्गत सभी ऐसे आवास धारक जो उत्तराखण्ड में उक्त पांच जिलों अर्थात् उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अधिवास कर रहे हैं और जिनके आवास पूरी तरह नष्ट हो गये हैं अर्हय होंगे। उक्त पांच जिलों में लगभग 670 इकाइयां शहरी क्षेत्र में और लगभग 2410 इकाइयां ग्रामीण क्षेत्र में कुल लगभग 3100 इकाइयां जून, 2013 की आपदा में जिनके आवास पूर्णतः क्षतिग्रस्त अथवा मरम्मत करने योग्य नहीं रहे हैं, क्षतिग्रस्त हुए थे। कई भवन आंशिक रूप से ऐसे क्षतिग्रस्त हुए थे जो पूर्णतः पुनर्निर्माण की अपेक्षा रखेंगे। कई स्थानों पर एकक् आवास, कलस्टर और यहां तक की सम्पूर्ण छोटी बस्ती बह गये थे, तथा भूमि अस्थिर और असुरक्षित हो गयी थी, इनकी पुनर्संस्थापना की आवश्यकता होगी। नीति 3100 क्षतिग्रस्त इकाइयों की पुनर्निर्माण का सहयोग करेंगी।

यकीकेक फकीकी .क-

संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय लाभार्थियों की सूची तैयार कर इस सूची को लोक समिरीक्षा और सत्यापन की प्रक्रिया के लिये प्रस्तुत करेंगे। पुनर्निर्माण के लिये वह आवास होंगे जो कि जून, 2013 की आपदा एवं उसके प्रकोप से नष्ट होने के कारण पुनर्निर्मित किये जाने हैं।

भूकम्प जोन और अन्य आपदाओं के अनुसरण में सरकारी निर्देशों/नियमों के अधीन मरम्मत की संभाव्यता को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के विभागों के अर्हित अभियन्ताओं के एक दल द्वारा सभी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का

परीक्षण किया जायेगा। वह अपेक्षित मरम्मत की सीमा का आंकलन करेंगे। इस आंकलन के आधार पर यह निश्चित किया जायेगा कि इन्हें पूर्णतः अथवा आंशिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। आवास जिनकी मरम्मत की जा सकती है, वह पृथक से अवस्थित पुनर्वास के लिये निर्धारित नियमों के अधीन वित्त पोषण हेतु आच्छादित होंगे।

इस परियोजना के अधीन आच्छादित सभी चयनित लाभार्थी राज्य सरकार के साथ जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से नीति की शर्तों और निबंधनों से सहमत होने संबंधी एक समझौता पत्र का निष्पादन करेंगे।

वर्ग I; Js kh&

प्रभावित आवास धारकों को निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा रहा है—

oxl , d & आवास धारक की भूमि पर निर्मित आवास जिस भूमि पर उनका मालिकाना हक है और वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्माण के लिए सुरक्षित सत्यापित है। लाभार्थियों को यह विकल्प होगा कि वह अपना आवास स्वयं निर्मित करें (परम्परागत आवास) या सरकार द्वारा निर्मित किये जाने वाले प्रीफेब्रीकेटेड आवास चुनें।

oxl nk& ऐसे आवास धारक जिनके आवास और भूमि आपदा के फलस्वरूप दोनों नष्ट हो गये हैं, के लिए कलस्टर आवासों का निर्माण तथा जिसके लिये उसी ग्राम क्षेत्र के भीतर भूमि उपलब्ध है।

oxl rhu& आपदा के फलस्वरूप आवास और भूमि नष्ट हुए आवास धारकों के लिए नये क्षेत्र पर अवस्थित कलस्टर आवासों का निर्माण। इस वर्ग के निर्माण के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध व विकसित करायी जायेगी और मूलभूत सुविधाओं एवं सेवाओं यथा—स्कूल भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, जल, स्वच्छता, विद्युत इत्यादि सुविधायें यदि पहुंच दूरी के भीतर उपलब्ध न हों तो, उपलब्ध करायी जायेगी। निर्मित किये जाने वाले आवास प्रीफेब्रीकेटेड होंगे।

वर्ग I; vko" ; drk; &

उपर्युक्त सभी वर्गों के लिए प्रस्तावित आवासों के लिए आवास के तकनीकी विशिष्टिकरण और डिजायन तथा संबंधित संरचना ऐसी होंगी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

उपर्युक्त सभी तीनों वर्गों के लाभार्थियों को इस पहल हेतु निर्धारित शर्तों और निबंधनों के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार के साथ एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना होगा। आवास तभी लाभार्थी को सौंपे जायेंगे जब उसके द्वारा निर्माण की संतुष्टि को इंगित करते हुये पूर्णता प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया जायेगा।

oxl , d &

यदि वर्ग एक के अन्तर्गत कोई लाभार्थी यह निर्णय लेता है कि उसके द्वारा आवास का निर्माण स्वयं किया जायेगा तब वह इस आशय का शपथ पत्र

जिलाधिकारी को देगा। परन्तु इस विकल्प में भी स्थल की सुरक्षा, आपदा प्रतिरोधक संरचना की दृष्टि के संबंध में डिजाइन, तकनीकी विशिष्टियां अन्य लाभार्थियों के समान होगी।

अवस्थित पुनर्निर्माण के मामले में आवास धारक की भूमि जिसका उनके पास मालिकाना हक (डीड) है, में बनाये जायेंगे जो कि निर्माण के लिए सुरक्षित हो और जैसा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

- आवास धारक को यह चयन करने की स्वतंत्रता होगी कि वह प्री फ़ैब्रिकेटेड आवास अथवा पारंपरिक आवासों में से किसी एक आवास को चुन ले।
- पारंपरिक आवास भूकम्प और अन्य आपदा रोधक डिजाइन प्रक्रिया का पालन करते हुये निर्मित किये जायेंगे, किन्तु आवास का डिजाइन, प्लिन्थ, कक्ष, शौचालय, स्नानगृह, रसोईघर, आच्छादित वाराम्दा, दरवाजें और खिडकियां आदि प्री फ़ैब्रिकेटेड आवास के अनुरूप होगा।
- राज्य की आपदा पश्चात आवास पुनर्निर्माण नीति में अधिकथित निर्माण प्रक्रिया के पालन हेतु एक अनुबंध पत्र लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

oxl nks &

वर्ग दो के लाभार्थी यदि स्वयं का परम्परागत आवास निर्मित करने का विकल्प चुनते है तो उन्हें वर्ग एक की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। यदि वह सरकार द्वारा निर्मित किये जाने वाले प्रीफ़ैब्रिकेटेड आवास का चयन करते है तो उन्हें वर्ग तीन की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

वर्ग दो के अन्तर्गत आवास निर्माण, ग्राम में लाभार्थी के पास उपलब्ध (नवीन अवाप्त) अन्य भूमि पर किये जायेंगे, इस भूमि पर उनका मालिकाना हक होना आवश्यक है और वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्माण के लिए सुरक्षित सत्यापित की गई है।

oxl rhu &

वर्ग तीन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पर्याप्त संख्या में स्कूल और स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र भी ऐसे स्थापित किये जायेंगे।

राज्य सरकार ने कलस्टर के अन्तर्गत स्थायी आवास की प्रत्येक इकाई के लिए निर्मित प्लिन्थ एवं पूर्व निर्मित (प्रीफ़ैवरिकेटीड) आवासों का प्रस्ताव किया है। 40 वर्ग मीटर (लगभग) की प्लिन्थ के आवास में दो कक्ष, रसोईघर, स्नानगृह, शौचालय और छोटा आच्छादित वाराम्दा होगा। प्रत्येक आवास में आवास धारक के प्रति व्यक्ति के लिए पर्याप्त निजी जल संग्रह (पांच व्यक्तियों के आवास धारक के औसतन प्रतिदिन के लिए प्रति व्यक्ति 40 लीटर) सहित जल संयोजन होगा। अपशिष्ट निस्तारण प्रबंधन और विद्युत संयोजन या तो ग्रिड के माध्यम से अथवा सोलर इकाई (सोलर लैन्टर्न) के माध्यम की इकाई से दिया जायेगा।

1. आवास का मॉडल प्लान जिसमें सेक्शन, प्लिन्थ की ऊंचाई आदि दर्शाते हुये एवं सामग्री (प्रीफैब व अन्य सामान) की विशिष्टीयां बी0आई0एस0 कोड के अनुसार तैयार कर लोकावलोकन के लिये उपलब्ध होगा, प्रदर्शन आवास क्लस्टर में विशेष स्थान पर स्थित होंगे।

2- कलस्टर आवासों के लिए पुनर्भवस्थित भूमि पहुंच योग्य और लाभार्थियों को स्वीकार्य भूमि होगी। भूमि और आवास पति और पत्नी के संयुक्त स्वामित्व को अंतरित की जायेगी। जहां तक उपयुक्त व संभव होगा ग्राम क्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित सरकारी भूमि पर ही राज्य सरकार द्वारा पुनर्स्थापन किया जायेगा जिससे भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही न्यून हो अथवा नहीं करनी पड़े। कलस्टर के लिए जल उपलब्धता और उनकी आवश्यकता के अनुरूप व विद्यमान आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक प्राथमिक स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी केन्द्र¹, प्राथमिक स्कूल तथा सामुदायिक कक्ष का निर्माण किया जायेगा।

fuekZ k dh ykxr&ykHkkfFkZ; ka dks l gk; rk

1. समस्त प्रीफैब्रीकेटेड आवास सरकार द्वारा निर्मित किये जायेंगे।
2. समस्त स्वामित्व चालित आवास निर्माण (Owner-Driven Constructed houses) लाभार्थी द्वारा किये जायेंगे। लाभार्थियों को रू0 पांच लाख, चार किशतों में उपलब्ध कराये जायेंगे:
 - प्रथम किशत: अनुबन्ध हस्ताक्षर किये जाने पर रू0 1.5 लाख प्लिन्थ स्तर तक के निर्माण करने हेतु।
 - द्वितीय किशत: रू0 2.0 लाख प्लिन्थ स्तर तक का निर्माण प्रमाणित किये जाने के उपरान्त, छत के स्तर तक निर्माण हेतु।
 - तृतीय किशत: रू0 1.0 लाख छत स्तर तक का निर्माण प्रमाणित किये जाने के उपरान्त, छत के निर्माण हेतु।
 - चतुर्थ किशत: रू0 0.5 लाख अन्तिम किशत के रूप में आवास (शौचालय सहित) के पूर्ण होने के प्रमाणन पर।
 - आवास के निर्माण में हुए कोई अन्य व्यय जो राज्य सरकार द्वारा सहायता के रूप में उपलब्ध कराये जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त है, लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

Hkfe 0; oLFkk&

नये आवासों और संबंधित संरचना के पुनर्निर्माण के प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि राज्य सरकार अथवा उपर्युक्त आपदा प्रभावित व्यक्तियों की निजी भूमि होगी। भूमि का चिन्हिकरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट यथासम्भव यह सुनिश्चित करेंगे

1. आंगनवाड़ी कार्यक्रम बालक सुरक्षा और माता सुरक्षा केन्द्र के रूप में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इसके अधीन 0-6 आयु के बच्चे आते हैं।

कि इस प्रयोजन के लिए चयनित भूमि भविष्य में आपदा की दृष्टि से खतरनाक होने की सम्भावना नहीं है। इस हेतु खनन विभाग से भूगर्भ शास्त्री और भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के विशेषज्ञ राज्य सरकार का सहयोग करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चयनित भूमि निर्माण के लिए तकनीकी, प्रशासनिक और विधिक दृष्टि से उपयुक्त है।

राज्य सरकार लाभार्थी को भूमि दीर्घ अवधि यथा 90 वर्ष के पट्टे (लीज़) पर उचित अभिलेख के माध्यम से देगी। सामान्यतः पट्टा पति और पत्नी दोनों के नाम से होगा किन्तु जहाँ केवल एक ही जीवित हो अथवा अन्य कोई स्थिति में एकल नाम से भी पट्टा दिया जा सकेगा। आवास परियोजना हेतु निश्चित डिजाइन के अनुसार होंगे। लाभार्थी जिले में निर्मित होने वाले प्रदर्शन आवास (मॉडल हाउस) का अपनी सूचना एवं स्वीकृति के लिये अवलोकन कर सकते हैं।

fdjk; k 0; oLFkk&

सभी चयनित लाभार्थियों को आवास के नुकसान की तिथि से प्रारम्भ होकर रू0 3000/- (तीन हजार रूपया) प्रतिमाह किराये की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी :

1. समस्त लाभार्थियों जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे प्रीफैब्रीकेटेड आवासों का विकल्प चुनेंगे, उन्हें उक्त किराया आवास का निर्माण पूर्ण होने और लाभार्थियों द्वारा उसमें स्थानान्तरित होने की तिथि तक देय होगा।
2. समस्त लाभार्थी जो अपना आवास स्वयं निर्मित करने का विकल्प चुनते हैं उन्हें उक्त किराया अधिकतम दो वर्ष अथवा आवास पूर्ण होने की तिथि (जो भी पूर्व हो) तक देय होगा।

vkokl chek&

पुनर्निर्मित आवास 10 वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की आपदाओं के विरुद्ध बीमाकृत होंगे। बीमा आवास धारक के नाम से बीमा संस्था के माध्यम से केवल आवास (आवास के भीतर सामग्री के लिए नहीं) के लिये राज्य द्वारा किया जायेगा।

vuψo.k&

भूमि तथा अन्य घटकों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता अनुसार पुनर्निर्माण किया जायेगा। जैसे ही भूमि का चयन और उसका अधिग्रहण किया जाय, जिला मजिस्ट्रेट स्थल का विकास कार्य प्रारम्भ कर देंगे। जिला मजिस्ट्रेट लाभार्थियों के चयन और ट्रैकिंग प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होंगे। वह सरकारी विभागों जैसे ग्राम्य विकास, पंचायती राज अथवा राजस्व विभाग के व्यक्तियों से गठित निरीक्षण दल से लाभार्थी की वैधता, जागरूकता, स्थल परिवर्तन की सुविधा, बैंक लेखों का गठन, किराये इत्यादि से संबंधित सुविधाओं हेतु करेंगे। स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकायें से भी सहायता ली जा सकेगी।

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम मुख्य क्रियान्वयन संस्था होगा जो राज्यस्तरीय परियोजना प्रबंधक तथा स्थल स्तर, स्थल प्रबंधक के लिए व्यवस्था करेगा। लाभार्थियों की सूची का अन्तिमिकरण, भूमि का चिन्हिकरण, भूमि की तैयारी, प्रभावित आवास धारकों की सहमति प्राप्ति, आवासों की पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण (शहरी और ग्रामीण दोनों) के लिए जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट उत्तरदायी होंगे। आदर्श निविदा प्रक्रिया पर आधारित चयनित ठेकेदारों द्वारा आवासों का निर्माण किया जायेगा। वह सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए आवासों के हस्तगत होने तक के लिए उत्तरदायी होंगे।

(Owner-Driven Constructed houses) हेतु सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे। स्वामित्व चलित आवास निर्माण प्रक्रिया में को तकनीकी एवं सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु एक संस्था नियुक्त कि जायेगी।

l kepkf; d l gHkkfxrk&

आवासीय डिजाईन और अवस्थापना के चयन में प्रभावित आवास धारकों को प्राथमिकतः सामुदायिक रूप में संलग्न किया जायेगा। यह कार्य लाभार्थियों की सूची की घोषणा, चयनित लाभार्थियों के साथ सीधे वार्ता तथा प्रभावित जनता की सभाओं यथा ग्रामसभा में मॉडल आवास के प्रदर्शन के माध्यम से किया जायेगा। प्रत्येक लाभार्थी की फोटो सहित एवं पहचान-पत्र साक्ष्य (जैसे की मतदाता परिचय पत्र) द्वारा राजस्व प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा। आरम्भ में अनंतिम सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी और प्रकाशित की जायेगी तथा यदि कोई संशोधन हो तो उसे दूर करके जैसे नीचे दर्शाया गया है सूची अन्तिम कर दी जायेगी। अन्तिम सूची में संशोधन केवल निम्नलिखित उपर्युक्त प्रक्रिया के पश्चात् ही किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त एक सुविचारित संचार नीति जो जागरूकता, विभिन्न घटकों के संदर्भ में सामुदायकों सूचना और शिकायत निराकरण प्रक्रिया सम्मिलित करते हुये बनायी जायेगी। यह स्थानीय स्तर के स्वामित्व की भावना तथा परियोजना को उन्नत करेगी।

f" kdk; r fujkdj .k i fdz; k&

कोई व्यक्ति जिसको लाभार्थी के चयन से संबंधित कोई शिकायत हो यथा स्थान का चयन, भुगतान और इसी प्रकार के अन्य शिकायतें, वह शिकायत निराकरण समिति को जिसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित कर गठित की जायेगी में दर्ज करा सकेगा।

vflkysf kkdud&

चयनित लाभग्राहियों की सूची और अन्य विवरण जैसे स्थान का चयन, निधियों का वितरण, आवासों के पूर्ण होने की स्थिति, प्राप्त शिकायत, उनका निस्तारण इत्यादि एन0आई0सी0 द्वारा अनुरक्षित जिला वैबसाइट पर जिला

मजिस्ट्रेट द्वारा रखी जायेगी और ग्राम सभा के सूचना पट्ट पर भी उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त रेडियो, टेलीविजन और परिपत्रों के माध्यम से भी समुचित प्रसार किया जायेगा। सभी तीनों वर्गों के लिए अन्तिम अनुमोदित डिजाईन का अभिलेखांकन समुचित रूप से अनुरक्षित और प्रसारित किया जायेगा।

ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें नये आवास उपलब्ध कराये गये हैं, उनका पुराना स्थल एवं पुराना आवास (Old site and Old house) न्यायिक दृष्टि से स्वीकार्य अभिलेख के द्वारा सरकार के पक्ष में छोड़ना होगा। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह अभिलेख सुचारु रूप से निबन्धित कर सरकार के खाते में लाये जाये।

समस्त स्थानीय अभिलेखों का अनुरक्षण जिलाधिकारी द्वारा अभिरक्षक के रूप में संबंधित तहसील के अभिलेखाग्रह में रखी जायेगी।

जिला स्तर पर क्रियान्वयन की सम्पूर्ण पुनर्निर्माण प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रणाधीन और सम्भागीय आयुक्त के पर्यवेक्षण के अधीन होगी।

यदि किसी प्रकार की स्पष्टता की आवश्यकता हो तो जिला मजिस्ट्रेट वह प्रकरण सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग को संदर्भित करेंगे।